12/11/2025 को पेश हो तथा स्टे की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है।

12/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज कार्य से मीटिंग, शिविर मुख्यालय से बाहर है स्थगन की अवधि बढ़ाई जाकर पत्रावली पूर्ववत दि.. 18/11/25 को पेश हो।

18/11/25 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उप. पूर्व में प्राप्त जवाब सरकार अपूर्ण होने से पुनः जवाब सरकार हेतु TOR पीपल्दा को पत्र जारी किया जावे तथा वास्ते जवाब सरकार में दिनांक 18/12/25 को पेश हो। स्थगन प्रार्थना पत्र

212RT Act में जवाब सरकार पूर्व में प्राप्त हो चुका है। श्री. पत्र हो बहस हेतु वकिल प्रतिवादी पूर्व में बहस सुनी गई, बहस सुनी गई, वकिल प्रति. द्वारा 212RT Act में मामला में पूर्व. बहस की गई, बहस सुनी गई, .

कार्यवाही

बउनवान ......लड्डूलाल...... बनाम ......रा.ज्य सरकार......

......मुकदमा न0...... ऑनलाईन न0......

तारीख हुक्म	हुक्म य कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
10/11/22	प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया की प्रार्थी के पूर्वज के नाम ख0न0 1, 5 बीघा तथा ख0न0 38, 10 बीघा 13 बिस्वा कुल–2 कुल रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा खातेदारी मे दर्ज थी परन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा इसे खाता सरकार दर्ज कर दिया गया है वर्तमान में प्रार्थी इस काबिज है। प्रार्थी के विरूद्व राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती रही हैं। प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व अस्थिाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। बहस पर मनन किया गया दस्तावेजों का अवलोकन किया। वर्तमान में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है जिस प्रकार प्रार्थी का क्या हित व अधिकार है स्पष्ट नही पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है। सरकारी भूमि अतिक्रमण पर धारा–91 के तहत कार्यवाही विधिक प्रक्रिया है इससे सरकारी भूमि का संरक्षण तथा राजस्व का अर्जन होता है। अप्रार्थी के विरूद्व अस्थिाई निषेधाज्ञा जारी करना इन कार्यवाहीयों को अवरूद्व करेगा इससे सरकारी भूमियो पर अतिक्रमण की प्रवृति को बढावा मिलेगा। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला नही होने, अपूर्णीय क्षति नही होने तथा सुविधा सन्तुलन पक्ष में नही होने के कारण प्रा0पत्र बाबत् अस्थिाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थिाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.04.2022 इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखित दफतर हो।	